न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 09/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00022

अनवान्

1. श्री देवीसिंह पिता लालसिंह राणावत राजपूत निवासी गोदेला भानसोल तहसील मावली।
2. श्रीमती रतनकुंवर बेवा लालसिंह राणावत राजपूत निवासी गोदेला भानसोल तहसील मालवी।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वगतसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत निवासी पलानाकलां हाल गोदेला भानसोल तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली।
3. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दोवडाई गोदेला पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली की आराजी नम्बर 2517 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा वर्तमान में हम प्रार्थीगण के नाम पर 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/4 हिस्सा, खातेदार डुलेसिंह पिता जवानसिंह के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं।
2. यह कि राजस्व ग्राम भानसोल में खातेदार उंकारसिंह, डुलेसिंह पिता ज्ञानसिंह राणावत राजपूत निवासी गोदेला मजरा भानसोल तहसील मावली के संयुक्त खाते एवं कब्जे की आराजी नम्बर 1483/3, 1476, 1483, 1484/2 किता 4 कुल रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि थी। उपरोक्त कृषि आराजीयात के खातेदार उंकारसिंह, डुलेसिंह पिता ज्ञानसिंह राणावत राजपूत निवासी गोदेला मजरा भानसोल तहसील मावली भानसोल ने अपनी खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में से आराजी नम्बर 1484/3 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण, 1476 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 1483 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 1484/2 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण कुलया 24 बीघा 12 बिस्वा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 23.09.1971 को क्रेतागण श्री गुलाबसिंह जी, श्री लालसिंह जी, श्री गरवरसिंह जी पिता अमरसिंह जी राणावत राजपूत निवासी गोदेला मजरा भानसोल तहसील मावली को विक्रय कर दी और विक्रय पत्र में ही उक्त विक्रित कृषि भूमि का बंटवाडा कर दिया गया और बंटवाडे अनुसार आराजी नम्बर 1484/2, 1484/3 का निस्फ हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1483 का 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 1476 का विक्रयसुदा भूमि में से नीस्फ हिस्सा क्रेतागण श्री गुलाबसिंह एवं श्री लालसिंह जी के रहा और क्रेता श्री गरवरसिंह जी के आराजी नम्बर 1482/2, 1483/3 का नीस्फ हिस्सा व आराजी नम्बर 1483 का 1/4 हिस्सा रखा। उपरोक्त बंटवाडे अनुसार ही मौके पर क्रेतागण ने आधिपत्य प्राप्त किया और वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

3. यह कि इस तरह क्रेता श्री गरवरसिंह का क्रयसुदा आराजी नम्बर 1476 में कोई हक हिस्सा नहीं था क्योंकि आराजी नम्बर 1476 जिसके नये आराजी नम्बर 2517 है जिसका 1/2 हिस्सा क्रेता गुलाबसिंह एवं लालसिंह के हिस्से में आया था जिस पर वक्त खरीद से क्रेता गुलाबसिंह एवं लालसिंह ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे और गरवरसिंह को भी इस बात का भली प्रकार से ज्ञात था कि उनका इस आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है फिर भी गरवरसिंह ने लोभ व लालच की भावना से वशीभूत होकर गुलाबसिंह एवं लालसिंह के हिस्से की भूमि में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपना नाम भी अंकित करवा दिया जिससे आराजी नम्बर 1476 में गरवरसिंह का नाम 1/4 हिस्से से दर्ज हो गया जबकि गरवरसिंह का इस भूमि में कोई हक हिस्सा कभी नहीं रहा हैं। गरवरसिंह के मरने के पश्चात् गरवरसिंह के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को उसके वारिसान पुत्र–पुत्री–पत्नी ने अपने नाम पर अंकित करवा दी और इसके पश्चात् पुत्रीयों एवं पत्नी ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को हक त्याग कर दिया जिससे वर्तमान में कुलिया 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित है जबकि इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 या इसके पिता का कभी कोई हक अधिकार न तो पहले रहा है और न ही वर्तमान में हैं।

4. यह कि क्रेता गुलाबसिंह का निधन हो चुका है और गुलाबसिंह के नाम पर जो भूमि दर्ज थी वह जरिए वसीयत मुझ प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो चुकी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

तथा लालसिंह का निधन होने से उनके नाम दर्ज भूमि विरासत से हम प्रार्थीगण के नाम पर अंकित हो चुकी है लेकिन गुलाबसिंह व लालसिंह की क्रयसुदा एवं हिस्से पांती की भूमि में विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा अपना नाम गलत तरीके से अंकन करवा दिया है जो हमारे मुकाबले स्वतः ही शून्य व निष्प्रभावी है जबकि उक्त भूमि हमारी है और इस पर कब्जा भी हमारा ही चला आ रहा है और हम प्रार्थीगण ने हमारी कुलिया खातेदारी की जमीन को मौके पर मिलाकर एक चक बना रखा है तथा कुलिया जमीन के चारो तरफ कांटो, थौहर की बाड एवं पत्थर की कोट बना रखी है और कुलिया जमीन पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा हम प्रार्थीगण का अपने परिवारजन सहित चला आ रहा है और उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने एवं विकसित करने में भी हम प्रार्थीगण ने काफी खर्चा किया है लेकिन हमारी जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकन होने से वह लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दे रहा है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कुलिया हिस्सा भूमि को हमारे खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी है इसलिए हम प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पर विपक्षी संख्या 1 या इसके पिता का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि वक्त खरीद से क्रेतागण गुलाबसिंह एवं लालसिंह इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आये है और गुलाबसिंह एवं लालसिंह के निधनोपरान्त हम प्रार्थीगण उनकी कुलिया भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त भूमि गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से वह उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है और भूमाफिया भी केवल रेकार्ड को देखकर ही रजिस्ट्री कराने पर तुले हुवे है और विपक्षी संख्या 1 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है जो रोजाना हमें हमारी जमीन से बेदखल करने की धमकीया दे रहा है और भूमाफियाओं को लाकर जमीन को विक्रय करने हेतु दिखा रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण को उनके खाते एवं कब्जेशुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, शांतिपूर्वक चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 21.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मौके पर आकर हम प्रार्थीगण को हमारी जमीन से बेदखल करने एवं अपने नाम अंकित भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के हस्तान्तरण सम्बन्धी यदि कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 3 के समक्ष पंजीयन हेतु पेश करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 2, 4 राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत के आधार पर सही दर्ज होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 2517 जिसके साबिक आराजी नम्बर 1476 होकर प्रार्थीगण के मौरूस गुलाबसिंह एवं लालसिंह द्वारा क्रय की गई। जिसमें विपक्षी संख्या 1 व इनके पिता का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी विपक्षी संख्या 1 के पिता ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपना नाम भी अंकित करवा दिया जबकि इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व इनके पिता का कभी कोई हक अधिकार न तो पहले रहा है और न ही वर्तमान में हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को गलत दर्ज होना बताकर अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिता के फौत होने पर विरासत के आधार पर दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 08.01.1990 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि क्रय के समय वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 1476 हाल आराजी नम्बर 2517 आपसी बंटवाडे में प्रार्थीगण के मौरूस गुलाबसिंह व लालसिंह के हिस्से रखी गई थी परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित करते समय विपक्षी संख्या 1 के पिता गिरवरसिंह का नाम भी साबिक आराजी नम्बर 1476 हाल आराजी नम्बर 2517 में इन्द्राज कर दिया गया एवं गिरवरसिंह की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई। भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 का नाम गलत दर्ज होना बताकर भूमि पर नाम दर्ज करवाना चाहते है। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा साबिक आराजी नम्बर 1476 हाल आराजी नम्बर 2517 को प्रार्थीगण के मौरूस द्वारा क्रय करना बताकर विपक्षी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज होना बताया हैं तथा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा दोवडाई गोदेला पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 2517 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 2517 एवं साबिक नम्बर 1476 को प्रार्थीगण के मौरूस गुलाबसिंह एवं लालसिंह द्वारा क्रय करना बताकर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। प्रकरण में दिनांक 05.02.2019 से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा दोवडाई गोदेला पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 2517 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 वगतसिंह के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested